उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-44/2023/यू0ओ0-22/52-1-2023-1675774

लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2023

शुद्धि-पत्र

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में रा0 इण्टर कालेज/रा0 बालिका इण्टर कालेज/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष आदि परियोजनाओं की द्वितीय किश्त राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने विषयक शासनादेश संख्या-120/2022/1247/52-1-2022-1675774 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश संख्या-120/2022/1247/52-1-2022-1675774 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के प्रस्तर-3 की शर्त संख्या-7 में उल्लिखित **"अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को हस्तान्तरित की जायेगी।"** के स्थान पर **"अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-1 पर उल्लिखित परियोजना की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ को तथा शेष परियोजनाओं की धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को हस्तान्तरित की जायेगी।"** पढ़ा व समझा जाय।

3- उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत शासनादेश के पृष्ठांकन के क्रमांक-9 में उल्लिखित **"प्रबन्ध निदेशक, कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्ता पूर्णरूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।"** के स्थान पर **"प्रबन्ध निदेशक, कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 एवं जिलाधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।" पढ़ा व समझा जाय।**

4- उक्त शासनादेश को शुद्धि-पत्र संख्या-126/2022/यू0ओ0-45/52-1-2022-1675774 दिनांक 23-12-2022 द्वारा किये गये संशोधन सहित इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या–यू0ओ0-22(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारीउत्तर प्रदेश (, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षाप्रथम एवं द्वितीय उ (0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. **सम्बन्धित जनपदों** के जिलाधिकारीजिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।/
12. वित्त (आय-अनुभाग (व्ययक-1, उ0प्र शासन।
13. लेखाधिकारीवेब अधिकारी/, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in